अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी बनाम मुकाम– घोद जिला सीकर

बृजमोहन भजनसिंह आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट मु.नं. 123/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2024	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती के संबंध में है। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर ईन्तजार तथ्यात्मक रिपोर्ट होकर पत्रावली नियत तिथि 10.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी घोद जिला सीकर	
10/01/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/01/25 को पेश हो।	
15/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी समन तामील पूर्व हो चुकी है। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक 303/2025/102 दिनांक 9/1/25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/1/25 को पेश हो।	
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 28/02/25 को पेश हो।	
28/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 01/05/25 को पेश हो।	
01/05/25	पत्रावली पेश हुइ। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 01/8/25 को पेश हो।	
01/8/25	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। P.O. Sb. अवकाश पर/न्यायालय कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 09/9/25 को पेश हो।	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 पर विधिवत तामील व्यक्तिशः पूर्व में हो चुकी है जिसका ... दिनांक 15/01/25 के आ चुका है उपस्थित ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी को प्रकरण में बहस का निवेदन किया। बहस [illegible] [illegible] की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, लोसल ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। आदेश [illegible] से भिजवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश [illegible] [illegible] के [illegible] मय पालनार्थ तहसीलदार लोसल ग्रामीण को भेजा जावे। पत्रावली फैसल होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र/123/2024

बृजमोहन पुत्र ईसरराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

बनाम

01. भजनसिंह पुत्र जवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण जिला सीकर

आवेदन बाबत इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–
01. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 09.09.2025

वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 265/92 रकबा 1.6400 हेक्टेयर वाके ग्राम खरसाडू पटवार हल्का पलथाना तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के तन में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एकमात्र मालिक, स्वामी, खातेदार है तथा अन्य किसी व्यक्ति का प्रार्थी की भूमि से कोई लेना देना व संबंध सरोकार नही है। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में उत्तर दिशा में ग्राम दादिया से खुड़ी जाने वाली सड़क अवस्थित है। प्रार्थी की भूमि में उत्तर से दक्षिण पश्चिमी कोने तक डोटेड लाईन राजस्व अधिकारियों ने गलती से अंकित कर दी जबकि प्रार्थी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही अन्य किसी खातेदार को उक्त भूमि में से रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थी की भूमि के दक्षिण में अवस्थित भूमि खसरा सं. 250/201 में आवागमन हेतु मुख्य सडक से चारागाह से होता हुआ पूर्वी सीमा से लगता हुआ आगे दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ खेतों में आवागमन के लिये रिकॉर्डेड अवस्थित है। इसलिये नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त किया जाकर डोटेड लाईन को हटाया जाना कानूनन न्यायसंगत व आवश्यक है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 265/92 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने लठ्ठा ट्रेस में गलती से डोटेड लाईन अंकित कर दी, जिसे दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में से डोटेड लाईन को हटाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण डोटेड लाईन के आधार पर ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि में से रास्ता कायम करना चाहते है इसलिये प्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना कानूनन न्यायसंगत व आवश्यक है। कृषि भूमि खसरा सं. 265/92 रकबा 1.6400 हेक्टेयर वाके ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है और किस्म बारानी अंकित है, मौके पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है और सम्पूर्ण भूमि पर रबी की फसल की बुवाई कर रखी है। लेकिन नक्शा ट्रेस में गलती से उत्तर से दक्षिण डोटेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

लाईन अंकित हो गयी जिसके आधार पर अप्रार्थीगण ताकत के बल पर रास्ता कायम करना चाहते है इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये कि विवादित भूमि खसरा सं. 265/92 में रास्ता कायम करने से बाज रहे। कृषि भूमि खसरा सं. 265/92 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम से दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में कोई रास्ता अंकित नही है लेकिन नक्शा ट्रेस में गलती से डोटेड लाईन अंकित हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाकर डोटेड लाईन को नक्शा ट्रेस मे से हटाया जाना प्रार्थनीय है। दिनांक 21.12.2024 को अप्रार्थी ने डोटेड लाईन के आधार पर प्रार्थी की भूमि मे से रास्ता कायम करने की धमकी देने पर वाद कारण पैदा होकर प्रस्तुत आवेदन पेश करना लाजिम आया। विवादित कृषि भूमि खसरा सं. 265/92 वाके ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित है। इसलिये माननीय न्यायालय को आवेदन सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः आवेदक की भूमि खसरा सं. 265/92 रकबा 1.6400 हेक्टेयर वाके ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नक्शा ट्रेस मे गलत रूप से अंकित डोटेड लाईन को हटाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को जवाब/दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थी सं. 1 पर पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है। उक्त के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/102 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसके सारतः उल्लेखित किया गया कि "ग्राम खरसाडू के मूल खसरा नम्बर 92 व 129 में अंकित डॉटेड रास्ता सदीनकाल से आवागमन हेतु प्रयुक्त नहीं लिया जा रहा है। उक्त डॉटेड रास्ता की ऐवज में वर्तमान खसरा सं. 265/92 पर आवागमन हेतु कटानी रास्ता खसरा सं. 93 व मूल खसरा सं. 129 के वर्तमान खसरा सं. 248/200 व 250/201 में आवागमन हेतु कटानी रास्ता खसरा सं. क्रमशः 228/99, 128, 249/201, 247/200 आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। अतः आवागमन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है इसलिए वांछित कार्यवाही किया जाना उचित है।"

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियां, उपलब्ध दस्तावेजात आदि तथा तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय पटवार हल्का रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज है। नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति में प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की आराजी में से रास्ता डोटेड लाईन से दर्ज रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व लट्ठा नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के खसरा नम्बर 265/92 में उत्तर से दक्षिण-पश्चिम कोने तक रास्ता डोटेड लाईन से प्रदर्शित है। जबकि मौके पर वर्तमान खसरा सं. 247/200 व 250/201 में आवागमन हेतु कटानी रास्ता खसरा सं. क्रमशः 228/99, 128, 249/201, 247/200 आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर आवागमन जारी है। उक्त रास्ते की एवज में प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमियों में से डोटेड लाईन से दर्ज रास्ते को हटवाना चाहते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा सं. 265/92 के नक्शा ट्रेस में दर्ज डोटेड लाईन से दर्ज रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है बल्कि रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

क्रमांक/

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान खसरा सं. 248/200 व 250/201 में आवागमन हेतु कटानी रास्ता खसरा सं. क्रमशः 228/99, 128, 249/201, 247/200 आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि उक्त रास्ता जिसे संशोधन करवाया जा रहा है वह डोटेड लाईन से दर्ज है। अतः प्रार्थी का आवेदन रिपोर्ट तहसीलदार, सीकर ग्रामीण मय पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 265/92 रकबा 1.6400 हेक्टेयर वाके ग्राम खरसाडू तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नक्शा ट्रेस में अंकित डोटेड लाईन को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन व ऑफलाईन) हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला-सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested